कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 129 / FP/UK/ROAD/43594/2019 :देहरादूनः दिनांकः 13 जुलाई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः—जनपद—नैनीताल में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक के माध्यम से ऑनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव का कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूणतायें पायी गयी हैः—

1. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र भाग—2 (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला) नहीं भरा गया है।
2. प्रस्ताव में संलग्न अधिकांश प्रपत्र/प्रमाण पत्र छायाप्रति में संलग्न किये गये हैं, प्रपत्र/प्रमाण मूल प्रति में संलग्न किये जाने हैं।
3. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं की गयी है।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 26,27,28 एवं 30 में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में प्रस्पर एक रूपता नहीं है।
5. प्रस्तावों की तीनों प्रतियों में प्रपत्र कमवार संलग्न नहीं किये गये हैं। अलग—अलग प्रतियों में सम्बन्धित प्रमाण पत्र पर अलग—अलग पृष्ठ संख्या अंकित की गयी है। उदारहण स्वरूप प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रमाण पत्र एक प्रति में पृष्ठ संख्या 32 पर संलग्न है, वहीं दूसरी प्रति में प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 30 पर संलग्न किया गया है। वृक्षों के पातन से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों/प्रपत्रों में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या में एक रूपता नहीं है।
6. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
7. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की कै Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1—42(III) दिनांक 22—02—2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।
8. प्रस्ताव में संलग्न Kml File में मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये हैं। मलवा निस्तारण स्थलों को Kml File में दर्शाया जाये।
9. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में वर्तमान दरों के अनुसार संलग्न की जाये एवं कृपया वर्तमान दर के अनुसार संशोधित CA Scheme ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
10. वैकल्पिक समरेखण एवं वर्तमान समरेखण की लम्बाई का विवरण एवं प्रभावित वन भूमि का Compartive Chart प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
11. वैकल्पिक एवं वर्तमान समरेखण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक—पृथक सूची संलग्न करने का कष्ट करें।
12. परियोजना में नाप भूमि से सम्बन्धित भूमिधरों के स्वामित्व व उनकी अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।

12:19:21 PM

13. प्रस्ताव में वनाधिकार से सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ण रूप से संलग्न नहीं किये गये है, जिसमें उप जिला स्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये है। ग्राम सभा की बैठक से समबन्धित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों में तिथि अंकित नहीं की गयी है।

14. भारत सरकार के पत्र संख्या–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरो का पुर्ननिधारण किया गया है एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–19.01.2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रस्तावों को चिन्हित किया गया है, जिनमें एन0पी0वी की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा करायी जानी है। कृपया अपने स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करनें का कष्ट करें।

भवदीय,

Shekhar

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक।

संख्या :– 129 / FP/UK/ROAD/43594/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव में इंगित कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें तथा कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

Shekhar

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक।